राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

<u>व्यक्तिगत ऋण योजना</u>

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को अपना रोजगार स्थापित करने हेतु अधिकतम 2,00,000 रु0 तक का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ।

<u>ऋण हेतु शर्तें -</u>

1. प्रार्थी का नाम शहरी बी.पी.एल. सूची में होना चाहिए व प्रार्थी शहर का स्थाई निवासी होना चाहिए ।
2. प्रार्थी की आयु 18-45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए ।
3. ऋण केवल स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाया जाता है ।
4. प्रार्थी किसी भी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो ।
5. इस ऋण पर केवल ब्याज राशि के ऊपर अनुदान का प्रावधान है।

<u>ऋण प्राप्त करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही -</u>

1. प्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा । <u>यह फार्म नगर निगम कार्यालय से निःशुल्क मिलता है ।</u>
2. फार्म की दो प्रतियां भरी जानी है । फार्म के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट (जिस कार्य के लिए आवेदन किया जाना है) प्रस्तुत किये जाने हैं ।
3. आवेदक को गठित टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में साक्षात्कार हेतु निश्चित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है ।